

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 10 (4) गुप-2/एफ.डी./76 दिनांक 13.10.84 एवं संशोधित आदेश दिनांक 02.05.98 व एफ 6(6) एफ.डी./रूल्स/2010 दिनांक 25.04.12 के अन्तर्गत फिजीकल मेडिसिन एवं रिहबिलिटेशन एस. पी. मेडिकल कॉलेज, पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर की अंजुल शर्मा के आधार पर श्रीमती अंजुल शर्मा व्याख्याता (भूगोल) राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय दयानन्द मार्ग (बीकानेर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 14.07.17 से मूल वेतन का 6 % की दर से जो अधिकतम रूपये 600 रु. (अखरे रु. छः सौ मात्र) विकलांग वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश का अपभोग करने की अवधि का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालिन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति एवं अन्य किसी कारण से कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि तथा निलंबन अवधि का विकलांग वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिलेल)


आई.ए.एस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी-5/विकलांग भत्ता/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

दिनांक 01/08/2017

1. शिक्षा उप निदेशक माध्यमिक बीकानेर
2. जि.शि.अ. (माध्य) बीकानेर
3. प्रधानाचार्य राबाउमावि दयानन्द मार्ग, बीकानेर
4. संबंधित कार्मिक श्रीमती अंजुल शर्मा व्याख्याता (भूगोल)
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर कार्यालय हाजा
6. गार्ड पंजिका


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर